न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अर्न्त0 धारा 75 एल.आर.एक्ट

हरीश कुमार भाटिया बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 18 जी जी

!! संशोधित आदेश !!

दिनांक :–06.03.2025

प्रार्थी हरीश कुमार भाटिया द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी. पी.सी. प्रस्तुत कर निवदेन किया गया कि उक्त शीर्षक की अपील श्रीमान न्यायालय में हरीश कुमार द्वारा इन कथनों के साथ पेश की गई कि चक 2 जी छोटी के मु0नं0 17 व 26 के 11.980 हैक0 में से खातेदार स्वर्गीय शंकर दास के वारिसान के मध्य भूमि को लेकर विवाद चल रहा है, जिस बावत माननीय राजस्व उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा रिट पैटीशन संख्या 15543/2018 के रूप में पंजीवद्ध है। इस दौरान में माननीय न्यायालय में स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। उसके उपरांत सरपंच ग्राम पंचायत 18 जी०जी० द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमावंदी में जो नोट लगा था उस पर गौर ना करके पुनः राजस्व रिकार्ड में भूमि टिंविक्ल, ख्याती व शशि के नाम से राजस्व रिकार्ड में इंतकाल दर्ज किया गया, जिसकी जानकारी होने पर श्रीमान जी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए दिनांक 03.03.2025 को उक्त प्रकरण में निर्णय पारित किया गया, जिसमें इंतकाल संख्या 397 दिनांक 06–07–2024 व इंतकाल संख्या 403 दिनांक 19–12–2024 विरास्तन व उपहार पत्र का नामांतरण स्थगन होने के बावजूद गलत स्वीकृत किया गया, पर गौर करते हुए अपीलाधीन संख्या 397 दिनांक 06.07.2024 एवं इंतकाल संख्या 403 दिनांक 19.12.2024 को निरस्त किए जाने योग्य अंकित हो गया है। उक्त निर्णय की पालना तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा की जानी है क्योंकि श्रीमान जी द्वारा दिए निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया है, जिसमें पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुण–अवगुण के आधार पर विधि–सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में इंतकाल संख्या 403 दिनांक 19–12–2024 निरस्त किए जाने योग्य अंकित हो गया है, जवकि इसके साथ इंतकाल निरस्त करते हुए रिमाण्ड किए जाने का आदेश अंकित किया जाना था। इस कारण तहसीलदार द्वारा आदेशों की पालना नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उक्त शीर्षक की पत्रावली को आज रोज की पेशी में लिया जाकर आदेश दिनांक 03.03.2025 में शब्द "निरस्त किए जाने योग्य" के स्थान पर "आदेश निरस्त किया जाता है" अंकित फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि नामान्तकरण के विरूद्ध अपील स्वीकार की गई थी। उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि हैं, जिसे धारा 151–152 सीपीसी के प्रावधानों के अर्न्तगत संशोधित किया जा सकता है।

अतः प्रकरण संख्या 04/2025 के अनवान हरीश कुमार भाटिया बनाम सरपंच ग्राम पंचायत 18 जी जी के निर्णय दिनांक 03.03.2025 में आंशिक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

संशोधन किया जाता है –" अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र धारा 76 एल आर एक्ट धारा 6 मियाद अधिनियम स्वीकार की किया जाकर इंतकाल संख्या 397 दिनांक 06.07.2024 एवम् इंतकाल संख्या 403 दिनांक 19.12.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण को तहसीलदार श्रीगंगानगर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तकरण दर्ज करने के सम्बन्ध में विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त संशोधन को निर्णय दिनांक 03.03.2025 का भाग पढ़ा जावे।

संशोधित आदेश आज दिनांक 06.03.2025 को लिखवाया जाकर उभयपक्ष को सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner